जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,पूरबसराय,मुंगेर।

DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING,PURABSARAI MUNGER-811201

(नरेन्द्र कुमार)
प्रभारी प्राचार्य
–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
योजना एवं लेखा,मुंगेर

Website:-www.dietmunger.in
Gmail- mungerdiet111@gmail.com

पत्रांक....51...../

प्रेषक,

प्रभारी प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
पूरबसराय,मुंगेर।

सेवा में,
प्रथम सूची में चयनित
सभी आवेदक

मुंगेर,दिनांकः–....03..../....02..../2021

विषयः–दो वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के नियमित सत्र 2020–22 में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि दो वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण (डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम) के नियमित सत्र 2020–22 में नामांकन के लिए आपका चयन बिहार राज्य आरक्षण नियामावली के आलोक में किया गया है। चयन संबंधि सूचना फोनकाल /ई–मेल/ WhatsApp /SMS के द्वारा भेजी जा चुकी है। अतएव आप दिनांक–....05..../....02..../2021 से दिनांक–....08..../....02..../2021 तक कार्यालय अवधि में (10:00 बजे से 5:00 बजे तक) उपस्थित हो कर नामांकन हेतु अपना दावा कर सकते है। उपरोक्त तिथियों तक नामांकन नहीं कराने अथवा संबंधित श्रेणी/कोटि जिसमें नामांकन हेतु चयन किया गया है। उससे संबंधित मूल एवं अन्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आपका दावा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

आप उपरोक्त निंधारित तिथि को निम्नांकित अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे जो निम्नवत है–

(1) ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की मूल प्रति।
(2) मैट्रिक/समकक्ष एवं इन्टरमीडिएट/समकक्ष का मूल अंक–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र।
(3) अंतिम संस्थान/महाविद्यालय परित्याग–पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
(4) आवासीय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति (एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो)
(5) जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति (हाल का बना हुआ)
(6) दिव्यांग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति (केवल दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए)
(7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मूल प्रमाण–पत्र(केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षित कोटि सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति)
(8) सामान्य के लिए 11500/–(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये) एवं SC/ST एवं दिव्यांगों के लिए 7000/–(सात हजार रूपये) मात्र (ऑनलाईन के माध्यम से पेमेंट किया जाना है)
(9) स्वस्थता प्रमाण–पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा निर्गत)
(10) चार पासपोर्ट साइज एवं दो स्टाम्प साइज रंगीन फोटो।
(11) सभी प्रमाण–पत्रों की दो–दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ मूल प्रमाण–पत्रों को एक फोलडर फाईल में लाना अनिवार्य है।
(12) संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
(13) नामांकन शुल्क किसी भी परिस्थिति मे वापस नहीं किया जायेगा।
(14) यह पत्र मात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पात्रता का द्योतक है। नामांकन की अनिवार्यता का नहीं।
(15) इस घोषणा पत्र के साथ शपथ–पत्र देना है कि मेरा सभी प्रमाण–पत्र सही है, किसी भी प्रकार के गलत प्रस्तुत कागजात के लिए मेरा नामांकन रद् करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।

3.02.21

प्रभारी प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
पूरबसराय,मुंगेर।
03.02.21